

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।

पत्रांक...1253(21.08.24) मसौढ़ी.

दिनांक 20/08/24

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल मसौढ़ी

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नार्बाड,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय:- नार्बाड,योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों के अनुरक्षण हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस प्रमंडल के अंतर्गत नार्बाड,योजनान्तर्गत चल रहे अनुरक्षण कार्यों हेतु विहित प्रपत्र में पथ वार निधि की अधियाचना की गई है जिसकी कुल राशि रु0 5,00,131 मात्र है।

अतः आग्रह है कि संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न पथों में आवंटन शीघ्र उपलब्ध करने की कृपा की जाए।

अनु० यथोक्त

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी।

Sks
20.08.24

Rural Works Department

Format for Requisition for Five year Maintenance Under NABARD

Name of Division- RWD Works Division Masaurhi

Month

Year

Sl no.	Name of the Road (English)	Name Of Contractor	Actual Date of Completion (Construction Work)	Administrative Approval		Agreement		Main Work Final bill Amount in Lakh with date	Five Year Maintenance Rs in Lakh					Total Demand	Remarks
				Total	KM	Main Work Amount (Lac.)	Maintenance Amount		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Akona Path to Yogapur	Dhaneshwar Nath Constructions	29.06.2022	407.55100	5.425	354.77869	27.86400	420.33333 dt. 29.06.2022	2.16476	2.83655	0	0	0	5.00131	
				0	0	0	0		2.16476	2.83655	0	0	0	5.00131	

PRR
20/08/24
D.A.O.

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल मसौदा
20.08.24

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-444/2018 - 81

/पटना, दिनांक- 04.01.2019

प्रेषक,

संजय कुमार, मा0प्र0स0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मसौदी के अधीन पुनपुन प्रखंड अन्तर्गत अकौना पथ से योगापुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 5.425 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 376.590 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 30.961 लाख अर्थात् कुल 407.551 लाख रुपये (चार करोड़ सात लाख पचपन हजार एक सौ रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मसौदी के अधीन पुनपुन प्रखंड अन्तर्गत अकौना पथ से योगापुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 5.425 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 376.590 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 30.961 लाख अर्थात् कुल 407.551 लाख रुपये (चार करोड़ सात लाख पचपन हजार एक सौ रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमरा: अधीक्षण अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना एवं मुख्य अभियंता-1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौदी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का घयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या-मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-444/2018 के पृ० सं०-08/टि० पर दिनांक-12.12.2018 को किया गया है।

Executive Engineer

R.W.D. Works Div. Masaurhi

12/19

3

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ के पृ० सं०-१०/टि० पर दिनांक-२०.१२.२०१८ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)-११-२००५-६०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ एवं ३७५८ दिनांक-३०.०५.२०१७ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ के पृष्ठ संख्या-१५/टि० पर दिनांक-०३.११.१९ को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौदी से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विशेष सचिव

(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ - ८।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ - ९।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, मसौदी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

RP

ORIGINAL FILED IN THE
R.W.D. WORKS DIV. P.

Executive Engineer

R.W.D. Works Div. Masaurhi

28.12.19

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ के पृ० सं०-१०/टि० पर दिनांक-२०.१२.२०१८ को प्राप्त है।
१०. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
११. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-४-४५/९४-३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (४)-११-२००५-६०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ एवं ३७५८ दिनांक-३०.०५.२०१७ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ के पृष्ठ संख्या-१५/टि० पर दिनांक-०३.११.१६ को प्राप्त है।
१२. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
१३. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौदी से दिस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
१४. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
१५. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विशेष सचिव

(संजय कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ - ८।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-४ (मु०)रा०यो०-०३-४४४/२०१८ - ९।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, मसौदी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पौचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Executive Engineer

R.W.D. Works Div. Masaurhi

28.12.19